

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**  
**मंत्रालय**  
**महानदी भवन, नया रायपुर**

क्रमांक एफ-2-127/2013/सात-4/पार्ट-2

नया रायपुर, दिनांक 18 SE

प्रति,

1. आयुक्त, भू-अभिलेख,  
छ.ग., रायपुर
2. समस्त संभागायुक्त,  
छत्तीसगढ़
3. समस्त कलेक्टर,  
छत्तीसगढ़.

विषय:- कोटवारों के पारिश्रमिक में वृद्धि ।

\*\*\*\*\*

राज्य शासन, कोटवारों को प्रतिमाह दिये जाने वाले पारिश्रमिक में 50 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने के फलस्वरूप निम्नानुसार संशोधन किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है:-

क्रमांक	कोटवारों की श्रेणी	वर्तमान दर	संशोधित दर
1	2	3	4
1.	जिसके पास कोई सेवा भूमि नहीं है ।	₹ 2000	₹ 3000
2.	जिसके पास 3 एकड़ तक सेवा भूमि है ।	₹ 1800	₹ 2700
3.	जिसके पास 3 एकड़ से अधिक और 7.5 एकड़ तक सेवा भूमि है ।	₹ 1500	₹ 2250
4.	जिसके पास 10 एकड़ तक सेवा भूमि है ।	₹ 1000	₹ 1500

2/ यह आदेश दिनांक 01.09.2013 से प्रभावशील होगा ।

3/ पारिश्रमिक पर होने वाला व्यय मांग संख्या-08-मुख्य शीर्ष-2053-जिला प्रशासन (093), जिला स्थापना (1510), जिला स्थापना 02-मजदूरी-004-अन्य के अंतर्गत विकलनीय होगा।

4/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक 405/सी.एन./2013-07-0006 दिनांक 12.09.2013 द्वारा प्रदान की गयी है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(वाय0पी0दुपारै)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

निरंतर .....2

पृ.क्रमांक एफ-2-127/2013/सात-4/पार्ट-2  
प्रतिलिपि:-

नया रायपुर, दिनांक 18 .SEF

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया-रायपुर
2. विशेष सहायक, मंत्री, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, नया-रायपुर
3. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
4. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर, छ.ग.
5. अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नया रायपुर
6. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर,
7. सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
8. राज्य सूचना अधिकारी, मंत्रालय की ओर राजस्व विभाग की वेबसाईट <http://cg.nic.in/revenue> में अपलोड हेतु ।
9. अध्यक्ष, कोटवार संघ, छत्तीसगढ़  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

M  
18/5/13

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग